16/57/18 पत्रावली कोर्ट में पेश हुई। दोनों पक्षों को सा: फैसला बाद रजिस्ट्री विशेषज्ञ से परामर्श किया जाता है कि वो फोटो की सत्यापित करें। पत्रावली फैसल मुल्तवी होकर गवाह से कागजों तथा बाद तकमीली बहस मुकर्रर है। [illegible]

Scanned by CamScanner